

प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल

दिनांक 02.02.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

पॉक्सो एक्ट के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कारावास एवं कुल 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना बण्डा पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एसजे 42 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना बण्डा में आरोपी बाबूराम पुत्र खेमकरन नि0 इन्दलपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

बाबूराम पुत्र खेमकरन नि0 इन्दलपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर जनपद शाहजहाँपुर ।

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 364/2022 धारा 376 भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी बाबूराम पुत्र खेमकरन नि0 इन्दलपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।